

श्रीमती प्रभा एवं 1/2/2 आयुश के नाबालिग होने से उसकी माता को प्राप्ति
नियुक्त किया गया था।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2/1 श्रीमती प्रभा के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। जिस पर आयुश को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस भी उसकी माता द्वारा प्राप्त किया गया था एवं उसकी माता उक्त नोटिस की पालना में अनुपस्थित रही है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1/2/2 आयुश अभी भी नाबालिग रहा है। जिसके हितों को संरक्षित करने हेतु अधिवक्ता दुर्गा सांखला को प्रतिवादी संख्या 1/2/2 आयुश का वाद में संरक्षक नियुक्त किया जाता है।

Dugay

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते बहस आवेदन दिनांक 6-3-2026 को पेश हों

विकास सिंह चौधरी
27.02.26
विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या - 2, अजमेर

61326

वकील पक्ष उक्त आवेदन
के अंतर्गत पत्रावली, यकृत (अवेद) का
कामका का प्रस्तावना पत्रावली बंध करी।
पत्रावली करी. बंध
करी। दिनांक 7/3/26 का पत्रावली।

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या - 2, अजमेर